7/4/25 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र (स्थगन) अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल वाद के साथ-साथ उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को भी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवम् दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jhanwar Lal
Date: 2025.04.16 12:28:32 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन